



न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीटासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर०ए०एस०

विविध प्रार्थना पत्र सं० 02/2018

1. रविन्द्र कुमार } पिसरान गणेशाराम जाति सोनी निवासी 29 जीबी
2. सुभाष कुमार } तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
3. इन्द्रकुमार } पुत्रान लालचन्द्र जाति सोनी निवासी 29 जीबी
4. किशनलाल } तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार

उपरिथत : श्री तेजासिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी।


राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

प्रार्थना पत्र अ० धारा 144 सी०पी०सी०

आदेश

दिनांक : 06.02.2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ० धारा 144 सी०पी०सी० प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेप में इस प्रकार हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2003 को निर्णय पारित कर भूमिधारी की 248 बीघा 3 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये। जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की थी। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.06.2006 को अदालतवाला का अधिग्रहण का आदेश निरस्त कर दिया। आज के दिन विवादग्रस्त भूमि रकबा राज नहीं है इसलिए न्यायहित में भूमि का कब्जा वापिस दिया जाना इन्साफ की दृष्टि में आवश्यक है। चक 29 जीबीए पत्थर नम्बर 185/412 मुरब्बा नम्बर पुराना 36 व नया मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 3 ता 5, 12 ता 15 रविन्द्र कुमार कुल 1.519 हैक्टर व किला नम्बर 21 ता 25 कुल 1.202 हैक्टर, इन्द्रकुमार, किला नम्बर 1,2,3,6 ता 10 कुल 1.771 हैक्टर किशनलाल व किला नम्बर 11,12,16,19,20 कुल 1.518 हैक्टर सुभाषचन्द्र का कब्जा दिनांक 21.04.2003 की पालना में तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा दिनांक 28.03.2004 को ले लिया था। ये आदेश राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 06.06.2006 को निरस्त कर दिया है। आज के दिन कोई रकबा खारिज नहीं है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण को मुरब्बा नम्बर 40 प०न० 185/412 किला नम्बर 1 ता 25 में 6.01 हैक्टर का कब्जा वापिस देकर इंतकाल दर्ज किए जाने इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है। अतः दरखास्त अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 29 जीबी(ए) मुरब्बा नम्बर 40 के 6.01 हैक्टर भूमि का कब्जा राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना में वापिस दिया जाकर इंतकाल दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करें।


अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। राजकीय अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 06.06.2006 उनके पक्ष में हो चुका है तथा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 जिसके द्वारा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक घोषित की गई थी, को निरस्त कर दिया गया है। बहस में यह भी बताया है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की पालना में प्रार्थीगण की चक 29 जीबी(ए) मुरब्बा नम्बर 40 के 6.01 हैक्टर जमीन का कब्जा वापिस देकर इतकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करें। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में नजीर पेश की है:-

1. आर.आर.डी. वर्ष 1989 पेज-104



SHRI C-S- GOYAL : MEMBER

Gopal Singh V. State of Raj-[50]

Civil Procedure Code, Section 144-Order dt. 17.05.1982 in ceiling proceedings for tasking over 'excess land, set aside by Board on 3-6-83 and case , remanded- Meanwhile excess land taken over and allotments made -legal representatives of assessee proceeded against u/s 91 excess land, set aside by Board on 3-6-83 and case , remanded- Meanwhile excess land taken over and allotments made -legal representatives of assessee proceeded against u/s 91 [3], Land Revenue Act and penalty, imposed-Held that With the setting aside of the Collector's order by Board , **Petitioners had become entitled to restitution and to be placed in same Position as obtaining before order dt. 17-05-82 -He could Not be treated as trespasser- Orders imposing penalty, quashed [Para-4]**

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त हो चुका है, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया था। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06.06.2006 के विधिक परीक्षण के उपरांत रिट दायर करने के लिए तहसीलदार श्री विजयनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसलिए स्टेट के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित होने वाले भावी निर्णय के अध्यक्षीन इस आदेश को रखा जाना चाहिये। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 को स्वीकार करने में राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि सीलिंग प्रकरण सं0 03/1998 अनवान सरकार बनाम माधुरी वगैरा के विधिक उत्तराधिकारीगण में इस


अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2003 को निर्णय पारित कर मुरब्बा नम्बर 40 के 6.01 हैक्टर भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। इस आदेश की पालना में कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 28.04.2003 के क्रम में कब्जा लिया गया जिसका इन्तकाल सख्या 163 दिनांक 29.05.2002 पत्थर नम्बर 185/412 मुरब्बा नम्बर पुराना 36 व नया मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 3 ता 5, 12 ता 15 रविन्द्र कुमार कुल 1.519 हैक्टर व किला नम्बर 21 ता 25 कुल 1.202 हैक्टर, इन्द्रकुमार, किला नम्बर 1,2,3,6 ता 10 कुल 1.771 हैक्टर किशनलाल व किला नम्बर 11,12,16,19,20 कुल 1.518 हैक्टर सुभाषचन्द्र, न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 25.04.2003 को आराजी राज स्वीकृत किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2003 को अप्रार्थीयान रविन्द्रकुमार वगैरा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.06.2006 से अपील स्वीकार करते हुए भूमि सीलिंग सीमा से कम मानी गई व इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त कर अपीलार्थी के वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपरोक्त हस्तान्तरण सदभावी है अथवा नहीं ? इसकी विस्तृत जांच कर तथा राज्य सरकार भूमिधारी एवं ट्रान्सफरीज को सुनकर स्पष्ट निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06.06.2006 पर कोई स्थगन हो, ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। चूंकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का अपील में निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि इस न्यायालय का आदेश/निर्णय निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन अभिलेख पर नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी निर्णय की पालना किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक इन्तकाल सख्या 163 दिनांक 29.05.2002 पत्थर नम्बर 185/412 मुरब्बा नम्बर पुराना 36 व नया मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 3 ता 5, 12 ता 15 कुल 1.519 हैक्टर व किला नम्बर 21 ता 25 कुल 1.202 हैक्टर, किला नम्बर 1,2,3,6 ता 10 कुल 1.771 हैक्टर व किला नम्बर 11,12,16, 19, 20 कुल 1.518 हैक्टर न्यायालय के निर्णय की पालना में आदेश दिनांक 21.04.2003 द्वारा बहक सरकार कब्जा जिससे लिया गया था, का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद, उनके पक्ष में करते हुए वापस कब्जा सुपुर्दगी का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय में विचाराधीन मूल सीलिंग रिमाण्ड प्रकरण 03/2006 में पारित होने वाले भावी आदेश के अध्यधीन रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, श्री विजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 06.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)
 (नखतदान बारहठ)
 अभिषेक जिला कलक्टर (प्रशासन) (प्रशासन)
 श्रीगंगानगर।